



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट urban rajasthan gov in/joda Phone No. 0291-2612086/269635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/4064

दिनांक:- 08/09/2022

:-कार्यवाही विवरण:-

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2022 की बैठक (जोन पश्चिम) दिनांक 16.08.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

**एजेण्डा संख्या 1 :- (16.08.2022)**

**विषय :-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक (जोन पश्चिम) दिनांक 07.06.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय :-** समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

**एजेण्डा संख्या 02**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	चौपासनी	25/2	02.01.10 बीघा	होटल
<b>आवेदक</b>	सिद्धि विनायक होटलस् एण्ड होस्पिटलिटी जरिये भागीदार श्रीमती सविता माथुर पत्नी श्री सज्जनलाल माथुर				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 25/2 रकबा 02.01.10 बीघा में होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
<b>निर्णय:-</b>	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की मौका स्थिति अनुसार चौडाई बाबत तहसीदार व पटवारी की पुनः टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

**एजेण्डा संख्या 03**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	मोकलावास	336/3, 336/4 व 336/5	13.08.00 बीघा	फार्म हाउस
<b>आवेदक</b>	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री जवाहरलाल परिहार				
<b>विषय:-</b>	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 336/3, 336/4 व 336/5 रकबा 13.08.00 बीघा में फार्म हाउस क्षेत्र प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
<b>निर्णय:-</b>	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की राजस्व मानचित्र अनुसार जानकारी एवम् रास्ते के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट जोन उपायुक्त से प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

— 2 —

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	तिवंरी	29	03.03.10 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री हस्तीराम पुत्र श्री हीराराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम तिवंरी के खसरा संख्या 29 रकबा 03.03.10 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की राजस्व मानचित्र अनुसार जानकारी एवम् रास्ते के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर तथा रास्ते की जमावदी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	चौपासनी	25/6	02.05.10 बीघा	होटल
आवेदक	श्रीमती शोभा कंवर पत्नी श्री भैरुसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 25/6 रकबा 02.05.10 बीघा में होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की मौका स्थिति अनुसार चौडाई बाबत तहसीदार व पटवारी की पुनः टिप्पणी प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	नारनाडी	802/195	02.01.00 बीघा	औद्योगिक
आवेदक	श्री श्रवणसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कानसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 802/195 रकबा 02.01.00 बीघा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की मौका स्थिति अनुसार टिप्पणी एवम् रास्ते के स्वामित्व बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

—L

एजेन्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	डोली	301, 301/1, 308, 309 व 903/306	33.05.12 बीघा	औद्योगिक (NON- POLLUTING ECO FRIENDLY)
आवेदक	हनुमान हैण्ड्रीकापट प्रा.लि जरिये डायरेक्टर अजय चौधरी पुत्र श्री भगवान सिंह चौधरी				
विषय:-	राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 301, 301/1, 308, 309 व 903/306 रकबा 33.05.12 बीघा में औद्योगिक (NON- POLLUTING ECO FRIENDLY) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार भू-उपयोग यू-2 एवं आंशिक मिश्रित प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान की यू-2 डी.सी.आर. में NON- POLLUTING ECO FRIENDLY उद्योग अनुज्ञेय हैं एवं मिश्रित भू-उपयोग में NON- POLLUTING HANDICRAFT उद्योग अनुज्ञेय हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान की GENERAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT CONTROL REGULATIONS के बिन्दु संख्या 01 अनुसार "In case of any contradiction regarding provision of Master Plan and DCR then the Chief Town Planner, Rajasthan shall be consulted by the authority". अतः प्रकरण में यू-2 एवम् आंशिक मिश्रित भू-उपयोग में संयुक्त रूप से एकल भूखण्ड NON- POLLUTING ECO FRIENDLY प्रयोजनार्थ उद्योग की अनुज्ञेयता बाबत मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर के मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	केरु	1083	04.16.00 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्री खेमराम पुत्र श्री लूम्वाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम केरु के खसरा संख्या 1083 रकबा 04.16.00 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि का उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 80 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जाएँ। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 80 फीट रखते हुए सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जाएँ। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 40 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 20 फीट भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवायी जाएँ।</li> <li>3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> </ol>				

4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

### एजेन्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	चौखा	632	02.14.00 बीघा	आवासीय
आवेदक	श्रीमती इमकू पत्नी श्री चौथाराम, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री राणाराम मेघवाल व श्रीमती रामीदेवी पत्नी श्री जीवनराम मेघवाल जरिये आम मुख्तियार श्री गोरधनराम पुत्र श्री भीयाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 632 रकबा 02.14.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को राजीव गांधी योजना तथा मास्टर प्लान की 160 फीट सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अतः सडक मध्य से 80 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करावायी जावे।</li> <li>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।</li> <li>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1-ए के बिन्दु संख्या 01 अनुसार <i>In the schemes of area less than 1 hectare cost of land of 10% of saleable area shall be levied</i> अनुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</li> <li>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				



एजेन्डा संख्या 10

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	चौपासनी	171/48/2	00.16.03 बीघा	व्यवसायिक
आवेदक	श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री जीवनलाल जैन				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौपासीन के खसरा संख्या 171/48/2 रकबा 00.16.03 बीघा में व्यवसायिक एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के तरमीन सुदा प्रमाणित राजस्व मानचित्र एवम् राज्य सरकार के आदेशों/परिपत्रों के क्रम में स्पष्ट रिपोर्ट जोन उपायुक्त से प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 11

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	गंगाणा	166, 166/1, 166/3 व 166/4	27.02.00 बीघा	आवासीय
आवेदक	श्रीमती अप्सरा जैन पत्नी श्री प्रकाश जैन, श्रीमती पिकी जैन पत्नी श्री विक्रम जैन व श्री रजत जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 166, 166/1, 166/3 व 166/4 रकबा 27.02.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की मौका स्थिति अनुसार चौड़ाई बाबत स्पष्ट टिप्पणी एवम् रास्ते के स्वामित्व बाबत उपायुक्त पश्चिम से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 12

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	चौखा	82 पार्ट	357906.59	आवासीय योजना
आवेदक	जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि				
विषय:-	राजीव गांधी याजना के सेक्टर ए के पहाडी एवं उबड-खाबड भूखण्डो का शिपट करने हेतु योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में समस्त तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेन्डा संख्या 13

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	केरु	1137/4, 1137/6	08.14.00 बीघा	फार्म हाउस
आवेदक	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री ढलाराम, श्री थानाराम पुत्र श्री ढलाराम जी				



विषय:-	राजस्व ग्राम केरू के खसरा संख्या 1137/4, 1137/6 रकबा 08.14.00 बीघा में फार्म हाउस एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 100 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 100 फीट गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

#### एजेण्डा संख्या 14

वैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	गंगाणा	27/1	06.14.00 बीघा	आवासीय
आवेदक	श्री माधाराम पुत्र श्री नथाराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 27/1 रकबा 06.14.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट रास्ते को जोनल डवलपमेंट प्लान की 200 फीट सडक को मिलाते हुए पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 1-ए के बिन्दु संख्या 01 अनुसार <i>In the schemes of area less than 1 hectare cost of land of 10% of saleable area shall be levied</i> अनुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।				


—

5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

### एजेन्डा संख्या 15

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.08.2022	पश्चिम	गंगाणा	95, 257 / 98	04.01.00 बीघा	आवासीय
आवेदक	श्री किशनाराम पुत्र श्री माहनराम, श्रीमती तुलसी पत्नी श्री नारायणराम, श्री दुर्गाराम व पुखाराम पुत्रान् नारायणराम।				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95, 257 / 98 रकबा 04.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बावत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में प्राप्त शिकायत एवम् विधिक नोटिस के कम में विधिक राय प्राप्त कर तथा शिकायत कर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त आपत्ति का निस्तारण कर व भूमि एवम् पहुँच मार्ग के स्वाभित्त्व की जांच जोन उपायुक्त द्वारा की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
08/09/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)


जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./वीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/4065-69

दिनांक:- 08/09/22

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
08/09/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव


भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 09.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. श्री अवधेश भीणा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                   | अध्यक्ष    |
| 2. श्री जयनारायण भीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                   | सदस्य      |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।   | सदस्य      |
| 4. श्री महेन्द्र पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री नीरज मिश्र उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर            | सदस्य      |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।         | सदस्य सचिव |



उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर